न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वा मित्र मीना R.A.S.

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
31/2014	20.2.2014	~~[illegible]~~ 02/04/2018

अपीलान

[1] राजाराम पुत्र दीना
[2] बस्तीराम
[3] रामकुंवार
[4] अतरसिंह
[5] रामबीर
[6] धर्मवीर पुत्रान कैलाश
[7] कृष्णा देवी
[8] कैलादेवी
[9] सुमन देवी पुत्रियान कैलाश
[10] कला पत्नि कैलाश
[11] छत्रपति पत्नि भगवान सिंह
[12] जयपाल
[13] सुरेन्द्र
[14] विजय पुत्रान भगवान सिंह जाति अहीरान निवासीगण ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

[1] रामसिंह
[2] अजीत पुत्र चन्दर
[3] कोयला
[4] वीरमति
[5] रोशन
[6] चन्वती
[7] राज पुत्रियान चन्दर
[8] लक्ष्मी पत्नि चन्दर जाति अहीर निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम

— [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

[9] राजस्थान सरकार जरिये मुख्तारी अधिकारी (कोष व लेखा) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[10] पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुहावास जरिये शाखा प्रबंधक कुहावास
[11] श्री मान उप पंजीयक, कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- अप्रार्थीगण / प्रति०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. के. आदेश 39 नियम 1 व 2 व पठित धारा 151 जा. दी.

उपस्थित :-
[1] श्री आनन्द राव अभिभाषक प्रार्थीगण
[2] " रामधन यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगा. 8

प्रार्थीगण के मय अभिभाषक उपस्थित होकर वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अं. धा. 212 राज. टी. के. पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि साबिक आराजी स. नं. 396/21-03 बीघा में से 1/3 हिस्सा के असल खातेदार काबिज काश्तकार प्रभाती पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम थे। प्रभाती पुत्र रामगोपाल ने अपना उक्त आराजी में समस्त अपना 1/3 हिस्सा, हीरा पुत्र शोजू को 2/3 भाग व चन्दर पुत्र हरफूल को 1/3 भाग में बराबर प्रतिफल लेकर जरिये बैयनामा दिनांक 8.6.1969 को बेचान कर दिया। उक्त खरीद से ही हीरा पुत्र शोजू 2/3 भाग पर व चन्दर पुत्र हरफूल 1/3 भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। हीरा पुत्र शोजू मिन प्रार्थी सं. 1 का पिताजी व प्रार्थीगण 2 लगा. 14 के दादा थे जो कि फौत हो चुके हैं। चन्दर पुत्र हरफूल भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 है। विवादित आराजी स. नं. 675 के 2/3 भाग पर प्रार्थीगण के बुजुर्ग हीरा पुत्र शोजू व अप्रार्थीगण 1 लगा. 8 के पिताजी व पति चन्दर पुत्र हरफूल अपने जीवन काल में काबिज काश्त रहे। हीरा की फौतगी के बाद उसके 2/3 भाग पर प्रार्थीगण व चन्दर पुत्र हरफूल की फौतगी के बाद अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 उसके 1/3 भाग पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जमाबन्दी सं. 2068 में हीरा पुत्र शोजू व चन्दर पुत्र हरफूल समभाग नाम दर्ज हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

— लगातार —

जिसकी पुनरावृत्ति ता:हाल राजस्व रिकार्ड में हो रही है। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान हल्का पटवारी से जमाबन्दी लेने पर दिनांक 14.2.14 को हुआ। इस गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी सं. 1 ता 11.8 से बाद तो स्थगन जारी हो गये और अप्रार्थीगण मौके पर धमकी दी कि हम विवादित आराजियात को दीगर लोगों को बेचान करेंगे और तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाये तो जिन प्रार्थीगणों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। अतः निवेदन कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म अस्थाई स्थगन आज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा दावा पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 11.8 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि सावित ख.नं. 396 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार प्रभाती पुत्र रामगोपाल जाति अहीर सा. [illegible] थे जिन्होंने अपने जीवन काल इस आराजी का बेचान दिनांक 8.9.1959 को किया जिसमें जवाबदेहान के पिता चन्दर द्वारा 1/3 भाग खरीद किया गया। बाद खरीद सही मुताबिक कब्जा के अपने हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार हम जवाबदेहान काबिज काश्त है। संवत 2018 में पुख्ता बन्दोबस्त व जमाबन्दी में खाता अलग इस प्रकार हुआ कि चन्दर पुत्र हरफूल सावित ख.नं. 396 मि रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा का मालिक हुआ। खाता सं. 31 में स्पष्ट जवाबदेहान के पिता का नाम अंकित है इसी प्रकार प्रार्थीगण के पिता व दादा शीभा पुत्र रामू अहीर सावित ख.नं. 396 मि रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा खाता सं. 87 जमाबन्दी संवत 2018 में अंकित है। संवत 2020 में पटवारी ने पिता, दादा व स्वयं के नाम शामलात में अंकन किया वो गलत है क्योंकि संवत 2018 में ही खाता अलग हो चुका था तथा संवत 2022 व 2029 व ता:हाल जमाबंदियों में जो शामलाती खाता दर्ज किया जा रहा है वो गलत है जवाबदेहान का हिस्सा सही दर्ज है। अगर कोई त्रुटि व संशोधन है तो प्रार्थीगण अपना दुरुस्तीका वाद दायर-

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय में अभी मामले में पेश करें। नामान्तरकरण का हिस्सा सही रहा है इसलिए प्रार्थीगण कोई दुरुस्ती पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की पूरी जानकारी थी मगर जानबूझकर को तंग व परेशान करने की नीयत से व नाजायज लाभ को उठाने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है दिनांक 14-2.14 की कहानी बिल्कुल ही मनगढ़न्त है। प्रार्थीगण को हमेशा बंटवारा की जानकारी रही है क्योंकि स्वयं प्रार्थीगण ने बैंक से ऋण लिया हुआ है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी और ना ही प्रार्थीगण बिना अप्रार्थीगण को किसी सूरत में जारी रखने हुक्म इम्तनाई अस्थाई से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी ख.नं. 396 मिन रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा के मालिक खातेदार काबिज काश्तकार परमाती पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम थे। परमाती पुत्र रामगोपाल अपनी उक्त आराजी में समस्त अपना 1/3 का हिस्सा दीना पुत्र छोटू को 2/3 भाग व चन्दर पुत्र हरफूल को 1/3 भाग में समस्त अधिकार की रजिस्ट्री परमाती ने प्रस्तुत कर जरिये बयनामा 8.6.1959 को बेचान कर दिया। बाद खरीद से ही दोनों काबिज व काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन जमाबन्दी संवत 2029 में दीना पुत्र छोटू व चन्दर पुत्र हरफूल समभाग गलत दर्ज कर दिया जिसकी पुनरावृत्ति लगातार राजस्व रिकार्ड में हो रही है जबकि दीना पुत्र छोटू 2/3 भाग व चन्दर पुत्र हरफूल 1/3 भाग दर्ज होना चाहिये था। इस गलत इन्द्राज को अप्रार्थीगण से सही कराने को कहा तो साफ इन्कार हो गये और धमकियां भी दी कि विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करेंगे। यदि अप्रार्थीगण उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो निज प्रार्थीगण को अपूरणीय हानि होगी। उक्त खरीदशुदा आराजी संवत 2029 में सही हिस्सा दर्ज है दीना पुत्र छोटू जिन प्रार्थी सं.-1 का पिताजी व अप्रार्थी सं.-2 लगा. 14 के दादा थे जो कि फौत हो चुके हैं। चन्दर पुत्र हरफूल भी फौत हो चुके हैं। जिनको

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

बाहेसाब अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 है मुताबिक बयनामा मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 अपने-2 हिस्से पर काबिज काश्त है। जमाबन्दी सं. 2029 से ता हाल में जो इन्द्राज का गलत इन्द्राज आ रहा है उसकी आड़ में अप्रार्थीगण दीगर लोगों को बेचान करदे तो मिन प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। बैयनामा की फोटोकापी जमाबन्दी सं. 2029, 2022 व मिलान खसरा की नकल संलग्न पत्रावली है अत: अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्दियां से पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि सामलिक ख.नं. 396 रकबा 2.20 बीघा 03 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा को खातेदार काश्तकार प्रभाती पुत्र रामजीलाल जिसने अपने जीवनकाल में सब आराजी का बेचान दिनांक 4.9.1959 को किया जिसमें मिन-अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 के पिता चन्दर द्वारा 1/3 भाग खरीद किया गया। उक्त खरीद से ही मुताबिक बैनामा के अपने हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार मिन अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। सम्वत 2018 में पुख्ता बन्दोबस्त व जमाबंदी में खाता खतौनी दर्ज कर हुआ कि चन्दर पुत्र रुड़मल सामलिक ख.नं. 396 मिन रकबा 4-07 बीघा खाता सं. 31 जमाबन्दी सम्वत 2018 में अंकित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के पिता व दादा हीरा पुत्र शेरू सामलिक ख.नं. 396 मिन रकबा 4-14 खाता सं. 87 जमाबन्दी सं. 2018 में दर्ज है। लेकिन सम्वत 2020 में पत्रावली में पिता, दादा व स्वयं के नाम सामलात दर्ज अंकन किया वो गलत है क्योंकि जब सम्वत 2018 में ही खाता खतौनी हो चुका था तथा सम्वत 2022 व 2029 व ता हाल जमाबंदियों में जो खाता सामलाती दर्ज किया है वो गलत है। मिन अप्रार्थीगण का हिस्सा सही दर्ज है। प्रार्थीगण को उपरोक्त रिकार्ड के बारे में पूर्ण जानकारी पूर्व से ही है। दिनांक 14.2.14 की प्रस्तुत कहानी मिथ्या व मनगढ़ंत बनाई है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व दावे पत्र में सही तथ्यों को छुपाया है उपरोक्त प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होती है। अगर प्रार्थीगण को दुरुस्ती करानी है तो दुरुस्ती का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिये। मिन अप्रार्थीगण का सही हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय

– लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि कि खातेदारी ख.नं. 396/21-03 बीघा में से 1/3 हिस्सा के असल खातेदार प्रभाती पुत्र रामगोपाल ने समस्त अपना 1/3 हिस्सा श्री हीरा पुत्र भोलू को 2/3 भाग व चन्दर पुत्र रघुनाथ को 1/3 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 8.6.1959 को बेचान कर दिया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का भी यही कथन है जो बयनामा से साबित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी सं. 2022 में सही हिस्से दर्ज है लेकिन 2029 में गलत दर्ज कर दिया। जमाबंदी सं. 2022 का अवलोकन किया जिसमें ख.नं. 396 किता रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा में चन्दर पुत्र रघुनाथ 1/3, हीरा पुत्र भोलू 2/3 दर्ज है। जमाबंदी सं. 2029 में हीरा पुत्र भोलू व चन्दर पुत्र रघुनाथ (प्रत्येक) ... हाल जमाबंदी संवत 2067-2070 में कैलाश, राजाराम पि० हीरा (प्रत्येक) 1/2, अप्रार्थीगण चन्दर पुत्र रघुनाथ 1/2 ... खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता का भी मानना है कि हिस्से गलत हुए हैं। इसलिये प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के हक में साबित है। क्योंकि बयनामा हीरा पुत्र भोलू 2/3 भाग व चन्दर पुत्र रघुनाथ 1/3 का हुआ है जो बयनामा दिनांक 8.6.1959 से सिद्ध है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के हक में सिद्ध है तथा अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 राज. काश्त. अधि. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी को कहीं तीसरे व्यक्ति को बेच कर खुर्द-बुर्द ना करें, हिस्से के कब्जा काश्त में मुजाहमत व मदाखलत न करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। अप्रार्थी क्रं. 11 कि वादग्रस्त आराजी बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजात पंजीबद्ध ना करे।

निर्णय आज दिनांक 02/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner